2.1

**प्रपत्र–1**

**परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–XII में प्रस्तावित, सल्ला से सेल–रौतगढ़ मोटर मार्ग (7.450 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

## प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या : 1880/पी03–19/यू0आर0आर0डी0ए0/11 दिनॉक 23 मार्च, 2011 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के फेज –XII के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

कोर नेटवर्क के अनुसार बसावट **सेल** की आवादी **526** अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्वध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में **7.450** कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार **9** मीटर चौडाई में वन पंचायत भूमि **1.080** है0, सिविल सोयम वन भूमि **3.389** है0 एवं मलवा निस्तारण हेतु वन पंचायत भूमि **0.300** है0, यानि कुल वन भूमि **4.769** है0 एवं गैर वन भूमि **1.164** है0 व नाप भूमि **2.236** है0 प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

**संरेखण नं0 1** के अनुसार इस मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित समरेखण टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के कि0 मी0 185.00 से निर्मित गुरना गोगिना–सल्ला मोटर मार्ग के अन्तिम चैनेज 21.100 कि0मी0 से प्रारम्भ है। अधिकतर नाप भूमि के अतिरिक्त बीच– बीच में सिविल सोयम भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने में वृक्ष कम प्रभावित होते है इस समरेखण में दो हेयरपिन बैण्ड पडते हैं, जो कि क्रमशः क्रश सेक्शन (5/10 – 5/12), ( 5/27 – 5/28) पर है। 03 आर0 सी0 सी0 पुल पडते हैं जो कि चैनेज (1/39 – 1/40) में 12 मी0, (2/18 – 1/19) में 10 मी0, (3/38 – 3/29) में 10 मी0 स्पान के है एवं एक 30 मी0 स्पान स्टील गडर पुल चैनेज (2/27 – 2/29) पर पडता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में क्रमशः मीणा, बसपटा, गैर सेल, फलेक, बछोटा एवं लड़ीधार तोक तथा इनके विघालय, सामुदायिक भवन आदि जुड़ जायेगें। प्रस्तावित समरेखण तकनीकि दृष्टि से उचित है।

**संरेखण नं0 2** के अनुसार इस मोटर मार्ग का निर्माण नक्शे पर हरे रंग से चिन्हित समरेखण गुरना–गोगिना से सल्ला मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु 21.100 कि0मी0 से प्रारम्भ होता है इस संरेखण की कुल ल0 8.000 कि0 मी0 आती है, एवं 04 हेयरपिन बैण्ड पडते है। इस संरेखण में 03 आर0सी0सी0 पुल 12, 15, 15 मी0 एवं 1 स्टील गडर पुल 48 मी0 का पडता है । इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने में साल व चीड़ वृक्ष अधिक प्रभावित होते है इस के अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी अधिक आती है। इस संरेखण से ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

समरेखण नं0 **2** को निरस्त कर समरेखण नं0 **1** को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 **1** को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः **7.450** कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार **9** मीटर चौडाई में आने वाली वन पंचायत भूमि, सिविल सोयम वन भूमि एवं मलवा निस्तारण हेतु कुल भूमि **4.769** है0 प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समंरक्षण अधिनियम **1980** के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

| | | |
|---|---|---|
| **कनिष्ट अभियन्ता** | **सहायक अभियन्ता** | **अधिशासी अभियन्ता** |
| पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, | पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, | पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, |
| लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ | लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ | लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ |